450/23

11.3.26

परिवादी अनुपस्थित है। वाद पुकार किया गया। बार-बार पुकारे जाने के बावजूद परिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वाद परिवादी के सुनवाई हेतु लम्बित होता चला आ रहा है परन्तु परिवादी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित होते चले आ रहे हैं तथा परिवादी को सुनवाई हेतु उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया गया था इसके बावजूद परिवादी उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को अब इस वाद में कोई भी अभिरुचि नहीं रह गया है। ऐसी उपरोक्त परिस्थिति में परिवादी के वाद को द० प्र० स० की धारा 203 के अन्तर्गत परिवादी के अदम पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। कार्या० अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लिखापित

[illegible signature]